

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर  
पत्रांक 4558 /2-6, दिनांक, गोरखपुर, जून 24 /2019  
Office Phone/Fax No. 0551-2333558 E-Mail ID- [cf\\_gorakhpur@yahoo.co.in](mailto:cf_gorakhpur@yahoo.co.in)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- जनपद-गोरखपुर में सोनौली-गोरखपुर मार्ग (रा०मा० सं०-29ई०) के किमी० 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी० 98.945 (मोहददीपुर चौराहा) तक भाग को 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अन्तर्गत किमी० 85.500 (मानीराम रेलवे क्रॉसिंग) पर प्रस्तावित आर०ओ०बी० के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक-1951/11-सी-FP/UP/Road/36788/2018, दिनांक 12.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव की कमियों/त्रुटियों का निराकरण कर अभिलेख सहित आख्या बिन्दुवार संशोधित प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर ने अपने पत्रांक-5702/2-6, दिनांक 22.06.2019 द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 24.06.2019 उपलब्ध कराया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव का परीक्षण कर मूल में एत्सह संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार  
प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

भवदीय,

(आर०हेमन्त कुमार)  
मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या- अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आर०हेमन्त कुमार)  
मुख्य वन संरक्षक,  
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर